

भारत सरकार  
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय  
(खेल विभाग)  
**लोक सभा**

अतारांकित प्रश्न संख्या 1113  
उत्तर देने की तारीख 02 दिसंबर, 2024  
11 अग्रहायण, 1946 (शक)

**युवाओं को खेल के प्रति प्रोत्साहित करना**

1113. श्रीमती संध्या राय:

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) मध्य प्रदेश में युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए बनाई गई योजनाओं का जिले-वार व्यौरा क्या है;
- (ख) भिंड और दतिया जिलों में खेल कोटा के माध्यम से उच्च शिक्षा और विश्वविद्यालयों में कितने छात्रों को लाभ हुआ;
- (ग) सरकार की भिंड जिले में व्यापक स्तर पर इनडोर स्टेडियम खोलने संबंधी क्या राय है; और
- (घ) सरकार द्वारा खेल योजनाओं पर व्यय की गई कुल राशि का जिलेवार, विशेषकर भिंड एवं दतिया जिलों में व्यौरा क्या है?

उत्तर  
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री  
(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क): खेल राज्य का विषय होने के कारण, देश में युवाओं सहित खेलों के विकास और प्रोत्साहन की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों की है और केंद्र सरकार केवल उनके प्रयासों में सहायता करती है। तथापि, सरकार मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में विभिन्न खेल प्रोत्साहन स्कीमों का संचालन कर रही है। इन स्कीमों में: (i) खेलों इंडिया- राष्ट्रीय खेल विकास कार्यक्रम; (ii) राष्ट्रीय खेल परिसंघों (एनएसएफ) को सहायता; (iii) अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में विजेताओं और उनके कोचों को नकद पुरस्कार; (iv) राष्ट्रीय खेल पुरस्कार; (v) मेधावी खिलाड़ियों को पेंशन; (vi) पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय खेल कल्याण स्कीम; (vii) राष्ट्रीय खेल विकास निधि; और (viii) भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के माध्यम से खेल प्रशिक्षण केंद्रों का संचालन शामिल हैं। इन स्कीमों का विवरण मंत्रालय की वेबसाइट <https://yas.nic.in/> पर सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है।

(ख): सरकार खेल कोटे के माध्यम से उच्च शिक्षा और विश्वविद्यालयों में लाभान्वित छात्रों की संख्या के संबंध में डाटाबेस नहीं रखती है।

(ग) और (घ): खेलो इंडिया स्कीम के अंतर्गत स्टेडियमों सहित खेल अवसंरचना के विकास के लिए, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों पर प्रस्तावों की तकनीकी व्यवहार्यता, उनके द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुपालन के साथ-साथ धन की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जाता है।

इस मंत्रालय द्वारा धनराशि का आबंटन स्कीम-वार किया जाता है, न कि जिले-वारा तथापि, मध्य प्रदेश राज्य के लिए खेलो इंडिया स्कीम के अंतर्गत वित्त पोषण का विवरण इसकी वेबसाइट <https://mdsd.kheloindia.gov.in/> पर उपलब्ध है।

\*\*\*\*\*